



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या-3020-अ.प्र.-04/पाकालि/2012-1-जी.ई.(छ:)/80

दिनांक: 22 अगस्त, 2012.

कार्यालय ज्ञाप

अवर अभियन्ता पद से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति सम्बन्धी कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1062-अ0प्र0-07/2012-11-अ0प्र0-07/2010, दिनांक 11 मई 2012, संख्या-1499-अ0प्र0-07/2012-19-अ0प्र0-07/2011, दिनांक 05 जून, 2012 एवं संख्या-1892-अ0प्र0-07/2012-19-अ0प्र0-07/2011, दिनांक 05 जून, 2012 के अनुसार अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता माह अगस्त 2012 से जून 2013 तक में सेवानिवृत्ति होंगे। कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2131-अ.प्र.-04/पाकालि/2011-1-जी.ई.(छ:)/80 दिनांक 13.09.2011 के अनुक्रम में निवर्तन वय प्राप्त होने पर अधोनामित नवप्रोन्नत सहायक अभियन्ता उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. की सेवाओं से उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को सेवानिवृत्त होंगे :-

क्रम सं.	नवप्रोन्नत सहायक अभियन्ता का नाम (सर्वश्री)	अभिज्ञान संख्या	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
1.	इं0 शंकर सिंह	2012058	01.09.1952	31.08.2012
2.	इं0 राजेन्द्र प्रसाद चौबे	2012062	17.09.1952	30.09.2012
3.	इं0 रामफेर	2012207	03.10.1952	31.10.2012
4.	इं0 राजेन्द्र सिंह	2012006	31.12.1952	31.12.2012
5.	अशोक कुमार श्रीवास्तव	2012101	15.01.1953	31.01.2013
6.	वशिष्ठ नारायण सिंह	2012005	01.03.1953	28.02.2013
7.	अजब सिंह	2012202	01.03.1953	28.02.2013
8.	अजय कुमार सक्सेना	2012001	10.05.1953	31.05.2013
9.	शत्रुघ्न प्रसाद	2012118	01.07.1953	30.06.2013

ज्ञाप संवर्ग

1.	आर0पी0 श्रीवास्तव (ज्ञापद)	201210	10.04.1953	30.04.2013
----	----------------------------	--------	------------	------------

उपरोक्त आदेश सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को स्तम्भ-5 में दर्शित उनकी सेवानिवृत्ति तिथि तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। संगत विनियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें लोकहित में उक्त तिथि के पूर्व कभी भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है। किसी कारणवश उपरोक्त सूची में नाम सम्मिलित होने से रह जाने पर भी अधिवर्षता वय प्राप्त कर चुक सहायक अभियन्ता का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह बिना किसी अग्रतर आदेश/निर्देश की प्रतीक्षा किये, नियत तिथि को सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो जाये। साथ ही साथ, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि सूचित की उ रही तिथि से पहले पड़ती है, तो वास्तविक व सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं अधिकारी की विधिक जिम्मेदारी होगी।

निदेशक (का.प्र.एवं प्रशासन)

संख्या: 3020-(1)अ.प्र.-04/पाकालि/2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
3. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि, विद्युत भवन, गैलाना रोड, आगरा।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि, पो0 डी0एल0डब्लू0, वाराणसी।
5. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनीनगर, लखनऊ।
6. निदेशक (पारेषण), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, पारीछा तापीय परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, पारीछा, झाँसी।
8. मुख्य अभियन्ता, अनपरा तापीय परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, अनपरा, सोनभद्र।
9. मुख्य अभियन्ता (पारेषण-पूर्व), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि., 57-जार्ज टाउन, इलाहाबाद।
10. मुख्य अभियन्ता (पारेषण-मध्य), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि., सी-40, अली मंजिल, महानगर, लखनऊ।

11. मुख्य अभियन्ता (वितरण), इलाहाबाद/वाराणसी/आगरा/मेरठ/आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को तामील कराना सुनिश्चित करें।
12. संयुक्त सचिव (अनुशासनिक कार्यवाही), उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि., शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित विभागीय कार्यवाही/जांच इत्यादि, यदि कोई हो, को यथासमय पूर्णतः निर्णीत कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करें, जिससे कि अधिकारियों के नैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो।
13. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रति वेबसाइट पर डालना सुनिश्चित करें।
14. अनुभाग अधिकारी (अ0प्र0-03/अ0प्र0-07), उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
15. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/सूचना पट, उ.प्र. पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।

नोट— सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं से अपेक्षा है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने निवास स्थान का पूरा पता (नाम, अभिज्ञान संख्या, मकान नम्बर, गली, मोहल्ला, शहर, जिला, पिन कोड नम्बर आदि) पत्राचार हेतु कारपोरेशन मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से
(मोहम्मद सगीर)
उप सचिव (अ0प्र0-04)